SECC-2011
अतिआवश्यक
ई–मेल

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास – अनुभाग–14)

क्रमांक–एफ 2(1)ग्रावि / 14 / एसईसीसी–2011 जयपुर, दिनांक 02.11.2011

जिला कलेक्टर एवं
प्रमुख SECC-2011 अधिकारी,
समस्त (राजस्थान)।

परिपत्र संख्या–7

विषय – घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवारों की विशेष जनगणना के लिये विशेष अभियान।
संदर्भ – विभागीय पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 6 / 9 / 2011 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के दौरान घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवारों की सामान्य प्रक्रिया के तहत की जा रही जनगणना से अलावा विशेष अभियान आयोजित कर सामान्य प्रक्रिया के तहत की जा रही जनगणना से छूट गए परिवारों की जनगणना करने के निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें –

1. **आवासहीन परिवारों का विशेष ध्यान रखते हुए गणना** – जनगणना कार्य प्रत्येक प्रगणना ब्लॉक में 10 दिवस में सम्पादित किया जाना है। प्रगणक एवं सुपरवाईजर्स को इस संदर्भ में निर्देश दिये जाये कि निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए ए.एच.एल. (**Abridged House List**) भाग संख्या–4 में दिये गये **आवासहीन परिवारों** का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इन्हें जनगणना में शामिल किया जावे।

2. **प्रत्येक प्रगणना ब्लॉक में अन्तिम दिन अभियान के रूप में गणना** – जनगणना कार्य प्रत्येक प्रगणना ब्लॉक में 10 दिवस में सम्पादित किया जाना है। इसमें यह अपेक्षा है प्रत्येक प्रगणक ब्लॉक में 8 दिवस में प्रगणन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा शेष बचे 2 अंतिम दिवसों में **घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवारों की जनगणना के लिये विशेष तौर पर अभियान चलाकर इन्हें जनगणना कार्य में शामिल किया जावे। जिससे कि सामान्य जनगणना प्रकिया के तहत उपरोक्त श्रेणी के परिवार जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए हैं उन्हें जनगणना में शामिल होने का एक और मौका मिल सकेगा।** अतः एक प्रगणन ब्लॉक में गणना हेतु निर्धारित 10 दिवस में से अन्तिम 2 दिवस घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवारों की जनगणना हेतु विशेष अभियान के लिये निर्धारित किया जावे। इस अभियान के सार्थक परिणाम के लिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किए गए जिलेवार विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से संपर्क कर उनको भी इसकी व्यापक

घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवारों की विशेष जनगणना के लिये विशेष अभियान

जानकारी दी जाये एवं उनका सहयोग लिया जावे। इसके अलावा प्रत्येक प्रगणक ब्लॉक में स्थान चिन्हित कर दिया जहां ऐसे परिवार इक्टठे हो सके एवं उनके नाम प्रगणक द्वारा सुचारु रुप से दर्ज किये जा सके। उचित होगा कि प्रत्येक प्रगणक ब्लाक से संबधित पंचायत में विभागीय दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक माह के 5,12,29, व 27 को आयोजित होने वाली पंचायत स्तरीय बैठक के अलावा संबधित पंचायत समिति तथा जिला परिषद में भी इस दो दिवसीय विशेष अभियान की जानकारी पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों एवं माननीय विधायक/सांसद को दी जाये। इस विशेष अभियान में पंचायती राज के ग्राम सेवकों के अलावा राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर व नायब तहसीलदार/तहसीलदार को भी जोडा जाये।

3. **आपत्तियों के माध्यम से जनगणना में शामिल करना** – भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार क्षेत्र में जनगणना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जनगणना के दौरान एकत्रित किये गये आंकडों का एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी किया जायेगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन की सूचनाएं पंचायत/ब्लॉक/जिला एवं विभिन्न वेबसाईटों पर उपलब्ध होंगे। साथ ही इन सूचनाओं को प्रकाशित होने के 7 दिवस के अन्दर ग्राम सभा में पढकर सुनाया जायेगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी होने के उपरान्त 21 दिवस तक सामान्यजन द्वारा आपत्तियां चार्ज अधिकारी एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों को प्रस्तुत की जायेगी। **घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवार जो** जनगणना में शामिल नहीं हो सके है उनसे आपत्तियां प्राप्त कर चार्ज ऑफिस में प्रस्तुत की जाये एवं उन पर अंतिम निर्णय करवाकर उनको जनगणना में शामिल करवायेगें। **घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवारों को आपत्तियां दर्ज करने में सहयोग करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है।**

4. **घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवारों के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करना** – इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 6.9.2011 एवं दिनांक 29.9.2011 के माध्यम से घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवारों के प्रतिनिधियों/विशिष्ट व्यक्तियों की सूची जिलों को उपलब्ध कराई गई है। जिला कलेक्टर्स से यह अपेक्षा है कि इन प्रतिनिधियों/विशिष्ठ व्यक्तियों के साथ **विशेष बैठक आयोजित कर उनको उक्त प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देंगे एवं उक्त प्रक्रिया में उन्हें सम्मिलित करेंगे** जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त एवं आवासहीन परिवार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 में शामिल होने से वंचित ना रहे।

(सी. एस. राजन)
अति0 मुख्य सचिव एवं नोडल अधिकारी
SECC-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास, आवासन एवं स्वायंत शासन विभाग, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
10. शासन सचिव स्वायंत शासन विभाग, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त।
12. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, 6–बी, झालाना डुगरी, जयपुर।
13. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, जयपुर
14. समस्त जिला SECC-2011 अधिकारी, **(अतिरिक्त जिला कलक्टर)।**
15. समस्त **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**, जिला परिषद को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला परिषद स्तर से समस्त पंचायतीराज के जन प्रतिनिधियों एवं समस्त विकास अधिकारियों को सूचित करें।
16. समस्त अतिरिक्त SECC-2011 अधिकारी, **(जिला सांख्यिकी अधिकारी)।**
17. समस्त सहायक SECC-2011,अधिकारी, **(उपखण्ड अधिकारी)।**
18. समस्त चार्ज अधिकारी SECC-2011, **(तहसीलदार)।**
19. गार्ड फाईल।

परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एस.जी.एस.वाई)